रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 1970/वैशाख 12, 1892

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 1970/VAISAKHA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

Merchant Shipping

New Delhi, the 26th March 1970

G.S.R. 667.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 95 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Calcutta) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Merchant (Seamen's Employment Office, Calcutta) Amendment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Qualifications etc. for direct recruitment		Period of probation	Qualifications etc. for recruitment promotion/transfer	
Age limit	Educational other qualifications required.		Whether age and educational qualifications for direct recruitment will apply in case of recruitment by promotion/transfer.	Grades/Sources fro which promotio tranfer is to be made.
9	10	11	12	13
Below 30 years	*Essential* : (*i*) B. Sc. in Statistics and/ or Mathematics. *Desirable* : (*i*) Some experience of Statistical research. (*ii*) Training in the working of punching card equipment.	Two years	Not applicable	Promotion Statistic Computor wi at least three yea service in the grac Transfer from G vernment servati working in equ valent grades other Governmei of India offices v Rs. 210—425".

[No. 17/8/69-B(A)]

नई दिल्ली, 23 अप्रैल 1970.

जी० एस० आर० 722:—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1776, तारीख 30 नवम्बर, 1964 प्रकाशित आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद में भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

(1) इस नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (पंचम संशोधन) नियमावली 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 के परिशिष्ट में क्रमसंख्या 66 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित रखा जाए :—

क्रम संख्या	पदों का विवरण			भर्ती पद्धतियां तथा जिस अनुपात से रिक्तियां भरी जानी हैं उसकी प्रतिशतता।			
	पद का नाम	पद का वर्गीकरण स्वरूप तथा दर्जा	पद का वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा चयन प्रवरता/योग्यता		स्थानान्तरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
67.	सांख्यिकी सहायक	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	210—10—290—15—320—द०र०15—425 रू०	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा तथा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।			

सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं आदि		परिवीक्षाधीन अवधि	पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के लिए अर्हताएं आदि	
आयु सीमा	शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं		सीधी भर्ती के लिये जो आयु और शैक्षणिक अर्हताएं हैं, क्या वे पदोन्नति /स्थानान्तरण द्वारा की जाने वाली भर्ती के लिए भी लागू होंगी ।	वे ग्रेड / स्रोत जिनमे पदोन्नति / स्थानान्तरण किया जाना है ।
9)	(10)	(11)	(12)	(13)
तीन वर्ष से नीचे	आवश्यक : (1) सांख्यिकी तथा / या गणित में बी० एस० सी० वांछनीय :— (1) सांख्यिकी अनुसंधान में कुछ अनुभव । (2) पंचिंग कार्ड उपकरण के संचालन में प्रशिक्षण ।	दो वर्ष	लागू नहीं होता	**पदोन्नति** — सांख्यिकी कम्प्युटर जिसका इस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो । **स्थानान्तरण** — भारत सरकार के अन्य कार्यालयों में 210–425 रुपये के समकक्ष ग्रेडों में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों में से ।

[संख्या० फा० 17/8/69–बी० (ए)]

G.S.R. 723.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

(1) These rules may be called the All India Radio (Class II posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class II posts) Recruitment Rules, 1962, afte Serial No. 20 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
"21.	Statistician	One	General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 325—15 475—EB—20—575.	Not applicable	30 years and below (Relaxable for Government servants).	*Essential*: (i) Master's degree Statistics or Mathematics/Economics/ Commerce (with Statistics) of a recognised University equivalent. OR Degree of a recognised University with Mathematics/Economics/Statistics as subject and a Post Graduates Diplom in Statistics from recognised institution (ii) About 2 years' experience of Statistic work involving collection, compilation and interpretation statistical data. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case candidates otherwise well qualified).

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consulation) Regulations, 1958."

[No. 17/8/69-B(A).]

A. N. DAWESAR, Under, Secy.

जी० एस० आर० 723 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 20 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित रखा जाए :—